PM SHRI EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL BHAIRAMGARH
पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ जिला–बीजापुर (छ.ग.)
(Affiliated to CBSE)

BLOCK: BHAIRAMGARH, DIST: BIJAPUR (CG) PIN: 494450
CBSE SCHOOL CODE: 17312 UDISE CODE: 22203102728
CBSE AFFILIATION NO.: 3320292
PHONE NO. 9999591378 Email ID: emrs.bhairamgarh@gmail.com

प्रति, दिनांक –

....

....

....

विषय – विद्यालय को वर्ष 2025 - 26.. सामग्री के प्रदाय हेतु निविदा प्रस्तुत करने संबंध में।

01. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा संचालित जिला बीजापुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार जिला बीजापुर के समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षण सत्र 2025 – 26 हेतु सामग्री के प्रदाय हेतु पंजीकृत फर्मो/ दुकानों/ व्यवसायियों/आपूर्तिकर्ताओं से किराना सामग्री, सब्जी – फल, बेकरी, दूध उत्पाद व अन्य पेय पदार्थ, मांसाहार सामग्री, दैनिक उपयोगी व प्रसाधन सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक – पृथक सीलबंद निविदाओं को दिनांक 20/11/2025 को प्रात: 10:00 बजे से दिनांक 02/12/2025 सांय 4:00 बजे तक धरोहर राशि मात्र 500/– रुपये प्रति निविदा प्रपत्र अनुसार भुगतान कर संबंधित विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है जिसकी विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट emrsbhairamgarh.ac.in पर उपलब्ध है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10.12.2025 सांय 3:30 बजे तक है। निविदा मुहरबन्द लिफाफे में हों और लिफाफे के ऊपर प्रदाय निविदा सामग्री का नाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित हो। मुहरबंद लिफाफे दिनांक 11.12.2025 प्रातः 11:30 बजे विद्यालय PASC समिति एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला कार्यालय, बीजापुर में खोली जाएगी ।

02. निविदाकर्ताओं को अधोलिखित क्रं 03 से 25 तक उल्लेखित नियम एवं शर्तो का पालन करना निवार्य होगा।

03. निविदा लिफाफा पद्धति के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा में मुख्यतः दो लिफाफे होंगे जिन पर निविदा का नाम, फर्म का नाम, स्पष्ट रुप से लिखा होना चाहिए। पहले लिफाफे पर टेक्निकल बिड एवं दूसरे पर फाइनेंसियल बिड लिखा होना चाहिए । दोंनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में अच्छी तरह सील कर संबंधित विद्यालय के पते पर देना होगा । निविदा खुलने के दिन विद्यालय PASC समिति द्वारा सर्वप्रथम फर्म के तकनीकी दस्तावेज खोले जाऐंगे। तकनीकी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही फाईनेंसियल बिड खोली जाएंगी ।

04. निविदा में अंकित दर समस्त करों जैसे जी.एस.टी. व अन्य कर सहित होने चाहिये । एफ. ओ. आर विद्यालय होगा। आपूर्तिकता फर्म को समक्त सामग्री विद्यालय तक पहुँचानी होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार के माल –भाड़ा अथवा वाहन परिवहन शुल्क आदि का भुगतान विद्यालय वहन नही करेगा।

BLOCK: BHAIRAMGARH, DIST: BIJAPUR (CG) PIN: 494450
CBSE SCHOOL CODE: 17312 UDISE CODE: 22203102728
CBSE AFFILIATION NO.: 3320292
PHONE NO. 9999591378 Email ID: emrs.bhairamgarh@gmail.com

05. निविदा पत्र में दर्शाई गई दरों में किसी भी प्रकार के कांट – छांट अथवा ओवर राइटिंग नही होनी चाहिए । अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसे पूर्णत: काटकर स्पष्ट अक्षरों में अलग से लिखा जाए तथा उसके समक्ष हस्ताक्षर वं तिथि लिखा जाए अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकता है ।

06. निविदा में वर्णित सामग्रियों को केवल न्यूनतम दर होने पर ही स्वीकार योग्य माना जायेगा। निविदा पत्र में अंकित कम मूल्यों को स्वीकार करने या ना करने का अधिकार प्राचार्य / PASC समिति को है । किसी भी निविदा पत्र के सम्पूर्ण या आंशिक सामग्री को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार भी प्राचार्य/ PASC समिति के पास सुरक्षित है।

07. निविदा की स्वीकृती पर एक अनुबंध होगा और निविदादाता निविदा में ही गई शर्तो, सामान्य वित्तीय नियमों एवं एकलव्य विद्यालय समिति के नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा । इस संबंध में संलग्न वचन/ सहमति पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा ।

08. एक वस्तु का एक ही मूल्य अंकित करें एवं जिस ब्रांड/ स्पेशिफिकशन की सामग्री की दर चाही गयी हैं, उसी वस्तु की दरें दें । कई मूल्य अंकित करने एवं निविदा शर्तो का पालन ना करने पर ऐसे निविदादाताओं के मूल्यों को निरस्त किया जा सकता है । न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है । वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर PASC समिति को वस्तु एवं दरें स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

09. आवश्यकता होने पर ही केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से ही नेगोशिएशन किया जाएगा। किसी सामग्री के लिये एक या अधिक फर्मों की दरें समान होने पर सेम्पल की गुणवत्ता/ नेगोशिएशन के आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जाएगा ।

10. निविदादाता, निविदा पत्र में दर्शायी निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में सम्बन्धित विद्यालय के पक्ष में में देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । निविदा-पत्र के साथ जमा की गयी धरोहर राशि निविदा स्वीकार होने पर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में जब्त कर ली जाएगी। निविदा स्वीकृत होने पर उक्त अमानत राशि विद्यालय में सुरक्षा निधि के रुप में समायोजित कर रखी जाएगी ।

11. निविदादाता फर्म सामानों की आपूर्ति यदि निर्धारित समयावधि में नही करता है तो प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उक्त सामग्री खुले बाजार/ अन्य फर्म से क्रय कर लें एवं अंतर की राशि को निविदादाता की सुरक्षा निधि से समायोजित कर लें । यदि अंतर की राशि अधिक है तो निविदादाता उक्त राशि को देने के लिये बाध्य होगा। यदि दोबारा आपूर्ति समंय एवं मांग अनुसार नहीं की जाती है तो धरोहर राशि राजसात कर फर्म को कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। एक बार अवसर देने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।

12. PASC समिति को निविदा पत्र में दर्शायी सामग्री की मात्रा से कम या अधिक आवश्यकतानुसार क्रय करने का अधिकार है। दरें विद्यालय द्वारा जारी प्रत्रक पर ही भरना अनिवार्य है।

13. निविदादाता को समस्त सामानों का सेम्पल निविदा खुलने की तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सेम्पलों का प्रदर्शन स्वयं करना होगा। चयनित सेम्पल्स को PASC समिति अपने पास सुरक्षित रखेगी एवं स्वीकृत सेम्पल वापस नहीं किये जाएंगें। सामग्री का सेम्पल निविदा दाता को बिना भुगतान के जमा करना अनिवार्य होगा एवं निविदा खुलने के स्थान तक आवश्यकतानुसार पहुंचना होगा। केवल अस्वीकृत निविदा के ही सेम्पल ही वापस होंगे।

14. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें दिनांक 30/04/2026 तक के लिए एवं PASC समिति के अगले आदेश तक मान्य होंगी।

15. जब भी कम्पनियों/एजेन्सियों द्वारा सामग्री के साथ किसी स्कीम के तहत फ्री गिफ्ट/ उपहार दिया जाता है तो निविदादाता को वह विद्यालय को देना होगा और उसे बिलों पर उपहार सामग्री लिखकर अंकित करना होगा अन्यथा उपहार के मूल्य को बिल की राशि में से काटकर भुगतान किया जायेगा। निविदा में जिस किसी सामग्री पर प्रतिशत में छूट चाही गयी है, वह दरों में भरें हुए मूल्य स्वीकार नही किये जायेंगे। इसी प्रकार जहां दरें चाही गयी हैं, वहा पर प्रतिशत में छूट दर्शाने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. विद्यालय द्वारा क्रयादेश के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई सामानों की गुणवत्ता की जाँच अधोहस्ताक्षरकर्ता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में जमा नमूना एवं टेंडर विवरण के आधार पर मिलान कर की जाएगी। सामग्री की गुणवत्ता में अंतर पाए जाने पर सामग्री अस्वीकृत की जाएगी। अस्वीकृत सामग्री विद्यालय में नहीं रखी जाएगी। आपूर्ति आदेश मे दर्शायी मात्रा से अधिक सामग्री भेजने पर अधिक भेजी गयी सामग्री स्वीकार नही की जायेगी। सामग्री तत्काल वापस ले जाने की पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी तथा यह सामग्री नहीं ले जाने पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय की नही होगी।
17. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी उपकरण आदि सामग्रियों में यदि 06 माह तक किसी भी प्रकार के निर्माण या सामग्री की गुणवत्ता में खराबी पाये जाने पर खराब सामग्री का मूल्य राशि निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि से काट कर समायोजित कर लिया जाएगा।
18. निविदादाता की किसी भी शर्त के लिये विद्यालय बाध्य नहीं होगा और इस संबंध में किसी प्रकार का दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार किसी भी निविदा को विद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही स्वीकार किया जावेगा। किसी भी स्थिति में सिफारिश करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
19. निविदा प्रपत्र में चाही गयी जानकारी पूर्णत: भरी होने पर ही स्वीकार किया जाएगा, अपूर्ण जानकारी भरने पर निरस्त माना जाएगा। निविदा पत्र पर निविदादाता तिथि सहित हस्ताक्षर करें।
20. प्रत्येक निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के समय पक्का बिल प्रस्तुत करना होगा, चालान या कच्चे बिल के आधार पर कोई भुगतान हीं किया जाएगा। निविदादाता को पीएफएमएस से भुगतान किया जाएगा। भुगतान प्राप्त होने के बाद निविदादाता को निर्धारित प्रिंटेड प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य होगा।

21. निविदा दर सूची में मांगी गई वजन/ब्रांड/मात्रा के अनुसार ही दरें भरें। अपनी ओर से कटिंग कर जोड़ना या बदलना निविदा फार्म में हेरा-फेरी किया जाना मानकर उन्हे तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जाएगा।
22. कम्पनी द्वारा निर्मित ब्राण्डेड वस्तुओं पर निर्माण तिथि, अनुपयोगी तिथि, लाट / बेच क्रं. एवं अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी) अंकित होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में एम.आर.पी से अधिक भुगतान हीं किया जाएगा। कम्पनी की एम.आर.पी. को मिटाना, बदलना, चिट लगाना आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे धोखाधड़ी मान कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
23. निविदादाता को टेण्डर फार्म एवं वचन पत्र में केवल स्वयं के नाम का वैध ईमेल आईडी एवं व्हाट्सऐप नंबर दर्शाना अनिवार्य है। सभी प्रकार का पत्राचार एवं आपूर्ति आदेश ई-मेल एवं वहाट्सऐप के द्वारा ही किया जाएगा। अत: केवल फर्म के नाम या फर्म के मालिक के नाम का वैध ई-मेल आई.डी/ वहाट्सऐप होना अनिवार्य है। वैध एवं कार्यरत मोबाईल नं. निविदा फार्म में अंकित करना अनिवार्य है। आपूर्ति आदेश प्रेषित करने के पश्चात किसी भी प्रकार की देरी के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। खाद्यान्न/ किराना दैनिक उपयोग, फल-सब्जी इत्यादि की आपूर्ति की अवधि अधिकतम 05 दिवस होगी। इस अवधि में सामग्री विद्यालय परिसर में आपूर्ति न करने पर निविदा शर्तो अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

PM SHRI EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL BHAIRAMGARH
पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ जिला–बीजापुर (छ.ग.)
(Affiliated to CBSE)
BLOCK: BHAIRAMGARH, DIST: BIJAPUR (CG) PIN: 494450
CBSE SCHOOL CODE: 17312 UDISE CODE: 22203102728
CBSE AFFILIATION NO.: 3320292
PHONE NO. 9999591378 Email ID: emrs.bhairamgarh@gmail.com

24. जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामग्री में नियमानुसार बिल के नेट राशि में सें जीएसटी टीडीएस (02 प्रतिशत) की एवं आयकर टी डी एस (1 प्रतिशत) कटौती की जाएगी। जीएसटी बिल ही प्रस्तुत करें एवं बिल पर नेट राशि तथा जीएसटी राशि स्पष्ट अलग-अलग अंकित हो। राशि अलग-अलग अंकित नहीं होने पर पूरे राशि में से जीएसटी टीडीएस की कटौती की जाएगी।

25. निविदा पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

i. फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन।
ii. पेन कार्ड की छायाप्रति।
iii. फर्म के व्यवसाय का उल्लेख हो।
iv. निविदा पत्र पूर्ण रूप से भरा हो एवं निविदा प्रपत्र के पृष्ठों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, तिथि सहित हो।
v. अमानत राशि .... ड्राफ्ट नंबर ....दिनांक
vi. किराना सामग्री के सेम्पल न्यूनतम 50 ग्राम जार लाक वाली पालीथीन में हो ।
vii. निविदा संबंधी समस्त शर्तों के स्वीकार होने के संबंध में सहमति / वचन पत्र।

20/11/25
प्राचार्य,
पीएमश्री ई.एम.आर.एस भैरमगढ़
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

Principal
PM SHRI EMRS Bhairamgarh
District-Bijapur